तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/5	पत्रा. पत्र द्वारा वकील प्रार्थी उफ वादी/प्रार्थी का वापस स्वीकार योग्य होने से निर्णित किया जाता है अतः प्रा. पत्र 212 आदेश 23 सी.पी.सी. में कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। पत्रा. फैसल शुमार हो, नकल के बाद हस्ताक्षरित करवा दी। सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर	